# कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./संपत्ति/

जबलप्र, दिनांक

/2025

## प्राचिकरण की विभिन्न योजनाओं में दुकान/चेम्बर/ फ्लैट हेतु क्रय करने का सुनहरा अवसर ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

क्र.	योजना क्र. एवं योजना का नाम	पलैटों / दुकान / चेम्बर / भूखण्डों की संख्या	लोकेशन	विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षित की संख्या	मू–उपयोग	साईट विजिट हेतु संपर्क नंबर	
1	2बी बाजनामठ	97 एलआईजी फ्लैट ब्लाक A : 2-बीएचके-45 फ्लैट ब्लाक B : 1-बीएचके-52 फ्लैट	बाजनामठ बसंत विहार कालोनी	-	आवासीय		
2	11 (द्वि.च.) शताब्दीपुरम एलआईजी भवन	एलआईजी 1बीएचके— 02 फ्लैट	स्टार पार्क के सामने शताब्दीपुरम	_	आवासीय	श्री हरीश पटेल मो.नं. 9424415880	
3	11 (द्वि.च.) शताब्दीपुरम एमआईजी भवन	एमआईजी 09 फ्लैट ब्लाक A फ्लेट — 02 ब्लाक B फ्लेट — 03 ब्लाक C फ्लेट — 04	मुस्कान प्लाजा/आदि प्लाजा के पीछे	_	आवासीय		
4	11 (वेजीटेबल मार्केट)	ब्लाक C दुकान – 01	कमला नेहरू नगर	01	व्यवसायिक	•	
5	14 आईएसबीटी (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स)	दुकान — 04 चेम्बर — 16	दीनदयाल चौक के पास	02 04	व्यवसायिक	श्री शिवकुमार कोल मो.नं. 9981957788	
6	19 मदन महल	ब्लाक <b>B</b> फ्लेट- 02	मदन महल	<del>(22</del> )	आवासीय	श्री हरीश पटेल मो.नं. 9424415880	
7	05 डी.डी काम्पलेक्स	फ्लेट-01	विजय नगर	_	आवासीय	श्री नीतेश कटरहा मो.नं. 6261799022	

आवेदन की अवधि	08/12/2025 से 05/01/2026 (सांय 05 बर्ज तक)
बिड डालने की अंतिम तिथि	06/01/2026 (सायं 05 बजे तक)
तकनीकी ऑफर खुलने की तिथि	07/01/2026 (सुबह 10:00 बजे)
वित्तीय ऑफर खुलने की तिथि	07/01/2026 ( दोपहर 03:00 बजे से)

उपरोक्त विक्रय हेतु विज्ञापित दुकान/चेम्बर/फ्लैट से संबंधित नियम एवं शर्तो की समस्त जानकारी प्राधिकरण की बेवसाइट <u>www.jdajabalpur.org</u> पर उपलब्ध है, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत ही www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in के माध्यम से दुकान/चेम्बर/फ्लैट क्रय करने हेतु ऑफर-आवेदन करें। आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैधानिक प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य हैं। <u>आरक्षण श्रेणी का लाभ लेने हेत</u>ु उपरोक्त ऑफर तृतीय एवं अंतिम अवसर है। आरक्षित संपत्तियों में कोई बोली प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित संपत्तियों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

> **ग्रे**द्धिकारी विकास प्राधिकरण

पृ.क./ संपत्ति / **5 /२**0

प्रतिलिपि:-1. कार्यपालन यंत्री, यो. क्र ...... जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।

 जनसम्पर्क अधिकारी, जिल्ला, जबलपुर को न्यूनतम् स्पेश में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु। 3. संपादक महोदय, दैनिक......समाचार पत्र को अपने अंक दिनांक ......मे साइज......मे

प्रकाशक हेत्। कम्प्यूटर शाखा, जिल्ह्या, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

प्रचार शाखा, जिल्हा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

नोटिस बोर्ड:- 6. सम्भागायुक्त कार्यालय, जबलपुर। 7. कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर। 8. निगमायुक्त जबलपुर। 9. नग्रानि, जबलपुर। 10. जिला पंचायत कार्यालय, जबलपुर

11. तहसील कार्यालय, जबलपुर।

संपदाधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर



# कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/

5/21

<u>जब</u>लपुर, दिनांक**०५ //८/**2025

# ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की निम्नानुसार सम्पत्तियों के यथास्थिति विक्रय हेतु ऑनलाईन बोली (ऑफर आमंत्रण) पोर्टल www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं। सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

豖.	संपत्ति क्र.	सम्पत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल (अनुमानित)	आरक्षण की श्रेणी	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय दर (रू.)	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 10प्रतिशत
योजना क्र. 11	(वेजीटेबल मार्केट) (द्	कान)			4, (/	
1	सी-14	व्यवसायिक	13.94 च.मी	अनूसूचित जनजाति	1000900 00	100090 00
योजना क्र. 14	(आईएसबीटी) (दुकान)					
1	दुक्र 07	व्यवसायिक	10.48 व.मी.	अन्य पिछडा वर्ग	1419191.00	141919 00
2	दु.क 10	व्यवसायिक	8.53 व.मी.	प्राधिकरण कर्मचारी	1155124.00	115512 00
3	दुक्र 21	व्यवसायिक	8.98 व.मी.	अनारक्षित	1216063.00	121606 00
4	दु.क. 30	व्यवसायिक	7.19 व.मी.	अनारक्षित	973663.00	97366.00
योजना क्र. 14	(आई.एस.बी.टी.) काय	लय/चेम्बर				
1	चेम्बर क्र. 01	व्यवसायिक	17.32 व.मी.	अनुसूचित जाति	2345457.00	234545.00
2	चेम्बर क्र. 02	व्यवसायिक	7.83 च.मी.	अनारक्षित	1060331.00	106033.00
3	चेम्बर क्र. 03	व्यवसायिक	17.00 व.मी.	अनुसूचित जनजाति	2302123.00	230212.00
4	चेम्बर क्र. 04	व्यवसायिक	18.19 य.मी.	अनुसूचित जनजाति	2463272.00	246327.00
5	चेम्बर क्र. 05	व्यवसायिक	17.82 व.मी.	अनारक्षित	2413167.00	241316 00
6	चेम्बर क्र 08	व्यवसायिक	14.1 व.मी.	पत्रकार	1909408.00	190940.00
7	चेम्बर क्र 11	व्यवसायिक	10.39 व.मी.	अनारक्षित	1407003.00	140700 00
8	चेम्बर क्र 12	व्यवसायिक	16.28 व.मी.	अनारक्षित	2204621.00	220462 00
9	चेम्बर क्र. 13	व्यवसायिक	27.28 व.मी.	अनारक्षित	3694230.00	369423 00
10	चेम्बर क्र 14	व्यवसायिक	33.50 व.मी.	अनारक्षित	4536537.00	453653 00
11	चेम्बर क्र 15	व्यवसायिक	19.66 व मी	अनारक्षित	2662338.00	266233 00
	चेम्बर क्र. 16	व्यवसायिक	15.04 व.मी.	अनारक्षित	2036702.00	203670 00
12	चेम्बर क्र. 18	व्यवसायिक	31.61 व.मी.	अनारक्षित	4280595.00	428059 00
13	+	व्यवसायिक	24.07 व.मी.	अनारक्षित	3259535.00	325953 00
14	चेम्बर क्र. 19	व्यवसायिक	14.6 व.मी.	अनारक्षित		197711.00
15	चेम्बर क्र 20	व्यवसायिक		अनारक्षित	1977117.00	200 Harris (200 Care)
16	चेम्बर क्र 21		12.53 व.मी.	अनारावत	1696800.00	169680.00
योजना क्रमांक			<b>5</b> − <b>₹</b>	- 0		
1	ए-15 (चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व फु	अनारक्षित	4180000.00	418000 00
2	ए-16 चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व.फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000 00
	11 (द्वि.च.) (एमआई		क – बी			T
1	बी-13 (चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व.फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000.00
2	बी-14 (चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व.फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000.00
3	बी—15 (चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व.फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000.00
योजना क्रमांक	11 (द्वि.च.) (एमआई		क — सी			
1	सी-9 (तृतीय तल)	आवासीय	1025 व फु	अनारक्षित	4180000 00	418000 00
2	सी-13(चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व.फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000 00
3	सी-14(चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000 00
4	सी-16(चतुर्थ तल)	आवासीय	1025 व.फु.	अनारक्षित	4180000.00	418000 00
	05 (डी.डी. काम्पलेक्स एस-09 (BLOCK A)		854 व.फ्	अनारक्षित	21,37,500.00	2,13,750.00
1	19 मदन महल (फ्लेट		504 4.43	OF II CIGAL	21,51,500.50	2,15,750.00
State of the state		.) आवासीय	1000 व.फू.	अनारक्षित	3396000.00	339600 00
1	बी-1 (द्वितीय तल)	आवासीय	1000 व.पु.	अनारक्षित	3396000.00	339600 00
2	बी-2 (तृतीय तल) 11 द्वितीय चरण 02	S See THOUSE ST.		At II CIGITI	333000.00	333000 00
याजना क्रमाक	11 हिताय चरण 02	नग एलआइआ (	। बार्चफ)		सम्पत्ति का	अमानत रार्ग
			क्षेत्रफल (व.फु.)	आरक्षण की	न्यूनतम विक्रय	
क्र.	फ्लेट क्र.	तल	बात्रफल (य.पु.)	स्थिति		का 10प्रतिश
क्र. 1	फ्लेट क्र. पलेट क्र. 61	तल षष्टम तल	कत्रकल (व.कु.) 581 व.कु	स्थिति अनारक्षित	कीमत (रू.) 1998893.00	

or

<b>क</b> .	फ्लेट क्र.	तल	क्षेत्रफल (व.फु.)	आरक्षण की स्थिति	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय कीमत (रु.)	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 10
1	पलेट क्र. 11	प्रथम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	प्रतिशत) 204106.00
2	पलेट क्र. 14	प्रथम तल	583 व.पु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
3	पलेट क्र 15	प्रथम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
4	पलेट क्र. 17	प्रथम तल	583 व.प <u>र</u>	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
5	पलेट क्र. 18	प्रथम तल	583 व.फू.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
6	फ्लेट क्र 21	द्वितीय तल	583 व.फ्.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
7	फ्लेट क 22	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
8	फ्लेट क्र. 23	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
9	पलेट क्र 24	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
10	पलेट क्र. 25	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
11	पलेट क्र. 26	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
12	पलेट क्र. 27	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
13	फ्लेट क्र. 28	द्वितीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
14	फ्लेट क्र. 31	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
15	फ्लेट क्र. 32	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
16	फ्लेट क्र 33	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
17	पलेट क्र. 34	वृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
18	फ्लेट क्र. 35	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
19	फ्लेट क्र. 36	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
20	फ्लेट क्र 37	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
21	पलेट क्र 38	तृतीय तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
22	फ्लेट क्र 41	चतुर्थ तल	583 व.फु	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
23	फ्लेट क्र. 42	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
24	पलेट क्र 43	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
25	<u>ਪੁਲੇਟ</u>	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
26	फ्लेट क्र. 45	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
27	फ्लेट क्र. 46	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
28	फ्लेट क्र. 47	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
29	फ्लेट क्र. 48	चतुर्थ तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
30	फ्लेट क्र. 51	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
31	पलेट क्र. 52	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
32	फ्लेट क्र 53	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
33	फ्लेट क्र. 54	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
34	पलेट क्र. 55	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
35	फ्लेट क्र 56	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
36	फ्लेट क्र. 57	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
37	फ्लेंट क्र 58	पंचम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
38	पलेट क्र. 61	षष्टम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
39	पलंट क्र 62	षष्टम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
40	पलेट क्र. 63	षष्टम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
41	पलेट क्र. 64	षष्टम तल	583 व.फु	अनारक्षित	2041061.00	204106 00
42	फ्लेट क्र. 65	षष्टम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
43	फ्लेट क्र. 66	षष्टम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	204106.00
44	फ्लेट क्र. 67	षष्टम तल	583 व.फु.	अनारक्षित	2041061.00	-
45	पलेट क्र 68	षष्टम तल	583 व फु	अनारक्षित	2041061.00	204106 0
एलआईजी प क्र.	लैट) ब्लॉक — बी ( पलेट क्र.	1 बीएचके 52 न तल	क्षेत्रफल (व.फु.)	आरक्षण की स्थिति	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय कीमत (रू.)	अमानत रा (न्यूनतम मृ का 10 प्रतिशत)
1	फ्लेट क्र. 11	प्रथम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
2	पलेट क्र 14	प्रथम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
3	पलेट क्र. 15	प्रथम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
4	<b>पलेट क्र. 16</b>	प्रथम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
5	फ्लेट क्र 18	प्रथम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820

6	पलेट क्र. 21	द्वितीय तल	527.35 व फु	अनारक्षित	1691821 00	16918200
7	पलेट क्र 22	द्वितीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 00
8	पलेट क्र. 23	द्वितीय तल	527.35 च.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
9	पलेट क्र 24	द्वितीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 00
10	पलेट क्र 25	द्वितीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 00
11	पलेट क्र 27	द्वितीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
12	पलेट क्र. 28	द्वितीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 00
13	पलेट क्र. 31	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 00
14	पलेट क्र 32	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
15	पलेट क्र. 33	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
16	<b>पलेट क्र. 34</b>	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
17	फ्लेट क्र 35	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 0
18	पलेट क्र 36	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
19	पलेट क्र. 37	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
20	पलेट क्र. 38	तृतीय तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
21	फ्लेट क्र. 41	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
22	पलेट क्र 42	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.00
23	पलेट क्र. 43	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
24	पलेट क्र 44	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
25	पलेट क्र 45	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
26	फ्लेट क्र. 46	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
27	प्लेट क्र. <b>4</b> 7	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
28	फ्लेट क्र 48	चतुर्थ तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
29	फ्लेट क्र. 51	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
30	फ्लेट क्र. 52	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
31	<b>पलेट</b> क्र. 53	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
32	पलेट क्र. 54	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
33	पलेट क्र. 55	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 0
34	पलेट क्र. 56	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
35	फ्लेट क्र 57	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
36	पलेट क्र 58	पंचम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
37	पलेट क्र 61	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
38	पलेट क्र. 62	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
39	पलेट क्र. 63	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
40	पलेट क्र. 64	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
41	पलेट क्र. 65	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
42	फ्लेट क्र. 66	षष्टम तल	527.35 व.मु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
43	फ्लेट क्र. 67	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
44	फ्लेट क्र. 68	षष्टम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
45	फ्लेट क्र. 71	सप्तम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
46	फ्लेट क्र 72	सप्तम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 0
47	फ्लेट क्र 73	सप्तम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
48	फ्लेट क्र. 74	सप्तम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820
49	फ्लेट क्र. 75	सप्तम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	169182.0
50	पलेट क्र. 76	सप्तम तल	527.35 व फु	अनारक्षित	1691821.00	169182 0
51	फ्लेट क्र 77	सप्तम तल	527.35 व.फु	अनारक्षित	1691821.00	1691820

योजना की विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल www.jdajabalpur.org

www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in पर उपलब्ध।

आवेदन की अविध	08/12/2025 से 05/01/2026 (सांय 05 बजे तक)
बिड डालने की अंतिम तिथि	06/01/2026 (सायं 05 बजे तक)
तकनीकी ऑफर खुलने की तिथि	07/01/2026 (सुबह 10:00 बजे)
वित्तीय ऑफर खुलने की तिथि	07/01/2026 ( दोपहर 03:00 बजे से)

2. ऑनलाईन आवेदन फार्म रु 1000.00 एवं जीएसटी 180.00 पोर्टल फीस ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर क्रय किये जाकर निर्धारित

रे. जारताइन जायरन अने रें जा सकते हैं।
3. बोली/ऑफर प्ररतुतकर्ताओं को कॉलम क्रमांक 7 में अंकित बोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।
4. आरक्षण श्रेणी का लाभ लेने हेतु उपरोक्त ऑफर तृतीय एवं अंतिम अवसर है। आरक्षित संपत्तियों में कोई बोली प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित संपत्तियों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

अन्य नियम एवं शर्तेः— (1) संपत्ति का आवंटन 30 वर्ष की लीज अवधि पर निर्घारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा एवं संपत्ति की प्राप्त अधिकतम कीमत की 0.1 प्रतिशत राशि वार्षिक भूमाटक के रूप में प्रतिवर्ष देय होगी। (2) सम्पत्ति क्रय हेतु ऑनलाईन ऑफर आवेदन स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही सबमिट करें, तत्पश्चात् कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा। (3) किसी अवयस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफर आवेदन मान्य नहीं होगा। (4) आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजीटल प्रमाण पत्र एव शपथ-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। तकनीकी ऑफर में अयोग्य पाये जाने पर संबंधित बोलीकर्ता का वित्तीय ऑफर नहीं खोला जायेगा। (5) ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा डिजीटल जाति प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ एव अन्य बांक्षित् दस्ता्येजों की मूल प्रति कार्यालय में अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। (6) संपत्ति की शेष राशि का मुगतान अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के मीतर किया जाना होगा। यदि आवेदक शेष राशि के मुगतान हेतु किस्तों की सुविधा का लाम लेना वाहता है तो आवेदक को अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के मीतर ही कुल प्रीमियम राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। (यह राशि अमानत राशि के अतिरिक्त होगी।) इसके उपरांत ही आवेदक को शेष राशि किस्तों में मुगतान करने की सुविधा प्रदान की जावेगी। नोट:- यदि अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के मीतर आवेदक द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं की जाती है अथवा कुल प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा करते हुये किस्त निर्धारण हेतु आवेदन प्रदान नही किया जाता है तो प्राधिकरण उक्त अवधि पश्चात् अमानत राशि राजसात करते हुये आवंटन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। (७) किस्त राशि विलंब से जमा करने पर विलंबित अविध पर 10 प्रतिशत दर से पृथक से व्याज भी देय होगा। व्यावसायिक सम्पत्ति की प्रीमियम राशि, विलंब ब्याज राशि एवं भूभाटक राशि इत्यादि पर 18 प्रतिशत जी एस टी. पृथक से देय है। (8) राशि समयसीमा में जमा न करने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एव प्रीमियम राशि में से नियमानुसार कटौती उपरांत शेष बची राशि बिना व्याज के लौटा दी जायेगी, व्याज सहित वापिसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। (9) कता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमित नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की सम्पत्ति के लिये असुरक्षित हों। (10) विस्तृत नियम एवं शर्ते ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑफर-आवेदन करें। (11) ऑफर स्वीकृत/निरस्त किये जाने, विज्ञापित सम्पत्ति को विलोपित किये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अतिम एव सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। (12) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एव समय-समय पर जारी शासनादेश, अनुबंध तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्त आवेदक को मान्य होंगी। (13) उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु भी प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। (14) संपत्ति में प्रीमियम के अलावा निर्वारित बाक्षित रखरखाव/प्रपासकीय या अन्य शुल्क इत्यादि के भूगतान करने हेतु भी आवटी बाव्य होंगे। (15) उच्चतम बोलीकर्ता के अतिरिक्त अन्य बोलीकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राषि ऑफर खोले जाने की दिनांक से 30 कार्यदिवस में सबधित एमपी ऑनलार्डन पोर्टल/अधिकृत एजेन्सी द्वारा सीधे बोलीकर्ता के बैंक खाते में वापिस (रिफण्ड) कर दी जावेगी किन्तु आवेदन शुल्क वापिस (रिफण्ड) नहीं किया जावेगा। (16) आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की संपत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि उच्चतम ऑकर मूल्य पर नियमानुसार कटौत्री कर आयंकर कार्यालय में जमा उपरांत फॉर्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना

210

**संपदाधिकारी** जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर

पृ.क./जविप्रा/ **\$**|२| | -**\$**|2| | **9** 

अनिवार्य होगा।

जबलपुर दिनांक 05/12/2025

प्रतिलिपि:-1. कार्यपालन यंत्री, यो. क्र ...... जिवप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जिवप्रा, जबलपुर को न्यूनतम् स्पेश में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु।
- कम्प्यूटर शाखा, जिवप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- प्रचार शाखा, जिलप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
   नोटिस बोर्ड:- 5. सम्भागायुक्त कार्यालय, जबलपुर।
   6. कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर।

7. निगमायुक्त जबलपुर। 8. नग्रानि, जबलपुर। 9. जिला पंचायत कार्यालय, जबलपुर

10. तहसील कार्यालय, जबलपुर।

an

संपदाधिकारी

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर

# आवेदन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते :-

- 1. ऑनलाईन आवेदन फार्म रु. 1000.00 एवं जीएसटी 180.00 पोर्टल फीस ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर क्रय किये जाकर निर्धारित शेड्यूल अनुसार भरे जा सकते हैं।
- 2. बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को बोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।
- 3. बोली प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे बोली प्रस्तुत करने के पूर्व सम्पित के भौतिक निरीक्षण एवं अवलोकन के पश्चात ही बोली प्रस्तुत करे। संपित "जहाँ है जैसे है" की स्थिति में निर्वर्तन की जावेगी, तथा बोली स्वीकृति पश्चात कोई भी दावा/आपित मान्य नहीं होगी।
- 4. बोली प्रस्तुतकर्ता अपनी बोली, कुल कीमत (Total Bid Price) में ही प्रस्तुत करें, प्रति वर्गफुट अथवा प्रति वर्गमीटर के आधार पर प्रस्तुत बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 5. किसी अवयस्क द्वारा प्रस्त्त किया गया ऑफर आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 6. आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजीटल प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ एवं शपथ-पत्र तथा अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को आई.डी. प्रूफ एवं शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। तकनीकी ऑफर में अयोग्य पाये जाने पर संबंधित बोलीकर्ता का वितीय ऑफर नहीं खोला जायेगा। शपथ-पत्र में सत्यापन अवश्य करावें।
- 7. ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा डिजीटल जाति प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ एवं अन्य वांक्षित दस्तावेजों की मूल प्रति कार्यालय में अवलोकन कराना अनिवार्य होगा।
- 8. उच्चतम बोलीकर्ता के अतिरिक्त अन्य बोलीकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राशि ऑफर खोले जाने की दिनांक से 30 कार्यदिवस में संबंधित एमपी ऑनलाईन पोर्टल/अधिकृत एजेन्सी द्वारा सीधे बोलीकर्ता के बैंक खाते में वापिस (रिफण्ड) कर दी जावेगी किन्तु बोली प्रपत्र/बोली दस्तावेज शुल्क गैर वापसी (Non Refundable) योग्य रहेगा।
- 9. कार्यालय द्वारा वितीय दरें खोलने के उपरांत यदि बोलीदाता को ऑनलाईन टेक्स्ट मेसेज प्राप्त होता है कि संदर्भित संपित के लिए आपकी बोली उच्चतम है, तो उक्त संदेश का आशय यह कदापि नहीं होगा कि आपका आवंटन स्वीकृत हो चुका है। अस्थायी आवंटन सूचना पत्र समस्त परीक्षण उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 10. विस्तृत नियम एवं शर्ते ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑफर-आवेदन करें।
- 11. ऑफर स्वीकृत/निरस्त किये जाने, विज्ञापित सम्पत्ति को विलोपित किये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेत् बाध्य नहीं रहेगा।
- 12. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एवं समय-समय पर जारी शासनादेश, अनुबंध तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्ते आवेदक को मान्य होंगी।
- 13. उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र, अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु भी प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।
- 14. संपत्ति में प्रीमियम के अलावा निर्धारित वांक्षित रखरखाव/प्रशासकीय या अन्य शुल्क इत्यादि के भुगतान करने हेतु भी आवंटी बाध्य होंगे।
- 15. विज्ञापन अनुसार एक सम्पत्ति की बोली की प्रस्तुति हेतु केवल एक ही बोली प्रपत्र लागू होगा। यदि बोली प्रस्तुतकर्ता एक से अधिक सम्पत्ति हेतु बोली लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक-पृथक बोली प्रपत्र क्रय करने होंगे।
- 16. ऐसी बोली लगाने वाले को जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो जो, या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा बोली दस्तावेज में भुगतान की निबंधन तथा शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समयाविध के भीतर बकाया रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों / जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की बोली प्रतिभृति समपहत कर ली जावेगी।
- 17. आवश्यक अपेक्षित जानकारी / दस्तावेजों, बोली दस्तावेज शुल्क तथा बोली प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत बोली अस्वीकार योग्य है। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार से किसी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह दस्तावेज के सत्यापन / उनकी पर्याप्तता के बारे में पृष्टि और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
- 18. क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पति तथा आसपास की सम्पत्ति के लिये असुरक्षित हों।

### <u>भुगतान की शर्ते :-</u>

- 1. उच्चतम बोली प्रस्तुतकर्ता को बोली की स्वीकृति पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्थायी आवंटन सूचना पत्र जारी किया जावेगा।
- 2. संपत्ति का आवंटन 30 वर्ष की लीज अविध पर निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा एवं संपत्ति की प्राप्त अधिकतम कीमत की 0.1 प्रतिशत राशि वार्षिक भूभाटक के रूप में प्रतिवर्ष देय होगी।
- 3. संपत्ति की शेष राशि (अमानत राशि के समायोजन उपरांत) का भुगतान अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर किया जाना होगा। यदि आवंदक शेष राशि के भुगतान हेतु किस्तों की सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो आवंदक को अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर ही कुल प्रीमियम राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। (यह राशि अमानत राशि के

अतिरिक्त होगी।) इसके उपरांत ही आवेदक को शेष राशि अधिकतम 8 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदाय की जावेगी तथा ऐसी किस्तों पर 10 प्रतिशत दर से वार्षिक ब्याज भी देय होगा। नोट:- यदि अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं की जाती है अथवा कुल प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा करते हुये किस्त निर्धारण हेतु आवेदन प्रदान नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण उक्त अविध पश्चात् अमानत राशि राजसात करते हुये आवंटन निरस्त करने तथा संपित का विज्ञापन पुनः जारी करने हेतु स्वतंत्र होगा।

- 4. व्यावसायिक सम्पत्ति की प्रीमियम राशि, विलंब ब्याज राशि एवं भूभाटक राशि इत्यादि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. पृथक से देय है।
- 5. राशि समयसीमा में जमा न करने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रीमियम राशि में से नियमानुसार कटौती उपरांत शेष बची राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी, ब्याज सहित वापिसी हेत् कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 6. उपरोक्त अनुसार दी गई विनिर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर बोली प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा बोली प्रतिभृति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहत (जब्त) कर सकेगा।
- 7. आवंटी सम्पति पर शासन, नगरपालिक निगम, अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
- 8. अधिमूल्य (प्रीमियम) की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा विकय विलेख दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर विक्रय विलेख को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पंजीकरण कराना होगा। आवंटी द्वारा विकय विलेख अभिलेख के साथ सम्पति का कब्जा सहित पंजीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। विकय पत्र के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 9. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की संपत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि उच्चतम ऑफर मूल्य पर नियमानुसार कटौत्री कर आयकर कार्यालय में जमा उपरांत फॉर्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

#### अन्य निबन्धन तथा शर्ते :-

- 1. यदि बोली के निबन्धनों तथा शर्तों में तथा मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2018" एवं संशोधित व्ययन नियम 09.04.2021 विनियम के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों / सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उदभूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबन्ध अभिभावी होगे तथा सफल बोलीदाता पर बन्धनकारी होंगे।
- 2. यदि योजना के अन्तर्गत कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, बोली प्रस्तुतकर्ता / सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये बन्धनकारी होंगी।
- 3. आवंटन के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- 4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुजापित समनुदेशिती (Permitted Assignees) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द आवंटी उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलत होना माना जाएगा।
- 5. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा इस दस्तावेज में उल्लेखित समस्त नियम भी बोली दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। बोली प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते है कि प्राधिकरण द्वारा वैबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी बोली दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन बोली प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में हैं। यदि बोली प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से बोली प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपित के संबंध में पत्राचार ई-मेल आई.डी./टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप/दूरभाष पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।
- 6. बोली प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बोली प्रस्तुतकर्ता से पत्र-व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित किया जाएगा। प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 7. बोली प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण की वेबसाईट www.jdajabalpur.org तथा www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in पर बोली के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।

# आवेदन फॉर्म भरने के दिशा निर्देश



# प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी के दस्तावेज / अभिलेख :-

# A) वैयक्तिक / संयुक्त आवेदकों हेतु -

- a) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से बोली प्रस्तुत कर रहा हो उसे बोली प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ पत्र जिसमें बोली प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- b) स्वयं / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ-पत्र (भाग-दो) ।
- c) जहां किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्तिके लिये बोली प्रस्तुत की जा रही हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्तिहेतु बोली को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी करने हेत् सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :-

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी ज.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन म.प्र.
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेना अधिकारी	जिला सैनिक कल्याण बोर्ड म.प्र.
10	पत्रकार	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांग	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन /मुख्य चिकित्सा अधिकारी

- d) बोलीदाता द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- e) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए)

### B) किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/ इकाई (सत्ता) हेत् -

- a) आवेदक द्वारा बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा आवेदक की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी अधिकार संकल्प।
- b) बोली प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र (भाग-दो) के अनुसार शपथ-पत्र।
- c) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख /न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि)
- d) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

### <u>शपथ-पत्र</u>

(लागू विधि के अनुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्यक् रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों) के लिए विहित)

### प्रारूप शपथ पत्र

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्न	गनुसार कथन करता/करती हूं कि :		
	:		
पिता/पति का नाम :			
आयु	:		
वार्षिक आय	:		
पता	:		
मोबाइल नंबर	:		
2. यह कि, मैं	(नाम),(र	बोली प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से !	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई
के संकल्प के अनुसार	की ओर से बोली प्रस्तुत करने	ने हेतु प्राधिकृत किया गया है। (ऐसे प्रव	नरण में लागू होगा, जहाँ बोली प्रस्तुतकर्ता
कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)			
		•	ग्न शपथ-पत्र के अनुसार मेरी ओर से बोली
	•	ाँ बोली प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्या	क्त को बोली प्रस्तुतकर्ता की ओर से बोली
प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया	· <del>है</del> )		
4. यह कि, आवेदन के अन्तर्गत व	दी गई समस्त जानकारी सही है तथा क	गेई भी सारभूत तथ्य छिपाया नहीं गया	है।
5. यह कि, मैंने निबंधन एवं शर्ते	जिसमें नियत दर के आधार पर प्राधिव	करण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नि	यम सम्मिलित हैं, भलीभांति समझ लिया
है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीका	र हैं।		
6 गट कि भावेटन के भन्नर्गन	कोर्ट जानकारी गुलन / टर्ट्यापटेशनकार	ी पार्ट जानी है। नो पाष्ट्रिकामा को मेग :	आवेदन रद्द करने तथा प्रतिभूति राशि को
	•		निधत पट्टे (लीज) को भी रद्द करने का
अधिकार होगा।	ना, राचा सर गरवास् इस वासा क अस	नारा आयादरा नम नाठू राज्ञारा रा राज्य	विचरा विद्यारिया वर्ग सा रब्द वर्गरा वर्ग
7. यह कि, प्राधिकरण द्वारा नि किया जा रहा है पूर्व में कोई सम्प		क्षित प्रवर्ग के लिए किसी विशेष योजन	ना के अधीन, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत
	,	रा विज्ञापित संपत्ति, योजना क्र	संपत्ति क्र हेतु इसके क्षेत्रफल में
परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए,	प्रस्तुत किया जा रहा है।		
दिनांक :			अभिसाक्षी
	::	सत्यापन ::	
<del>#</del>	ਧਿਤਾ/ਧਤਿ ਐ	ā	मत्यापित करता हूं/करती हूं, कि मेरे द्वारा
प्रस्तत की गई उपगेक्त त्यक्ति	जानकारी के थनमार मटर है टर	ग दममें कोर्द भी जानकारी न नो थयन	य है और न इसे छिपाया गया है, जो आज
दिनांक को स	<del>-</del>	יי לעי-ו אייל פון פוופואיולו פו לוו פולול	न ए जार स दूरा कि तमा समा ए, जा जाज
194-11-17 Mil Y	ן די די דו און וור או		
दिनांक :			अभिसाक्षी

**नोट** :- 1. उक्त शपथ पत्र को भर कर स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है|

- 2. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो. उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
- 3. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।